

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक: 14 जून 2012

विषय: निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारी में अनसूचित जाति/जनजाति के ठेकेदारों को अनुमन्य आरक्षण व्यवस्था समाप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया शासनादेश संख्या 1500/9-9-2009-69ज/2009 दिनांक 27.7.2009, जिसके माध्यम से स्थानीय नागर निकायों के अन्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्यों जिनकी लागत रूपये 5.00 लाख तक है, के सम्पादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के प्रत्येक निकाय के कुल कार्यों में 21 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जाति तथा 2 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों हेतु आरक्षित किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे एवं शासनादेश संख्या 796/9-9-2010-69ज/2009 दिनांक 22.4.2010 द्वारा उक्त धनराशि रू० 5.00 लाख को बढ़ाकर रू० 25.00 लाख कर दिया गया।

2. प्रश्नगत आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि निविदा आमंत्रित करने पर प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारी में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने, कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने एवं शासकीय कार्यों की निविदा प्रक्रिया में सभी को समान रूप से प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान करने हेतु जनहित में उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.7.2009 एवं 22.4.2010 को निरस्त करते हुये अनुसूचित जाति/जनजाति के ठेकेदारों के लिये निविदा प्रक्रिया में अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

4. उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-११४ (1)/१-१-२०१२-६९ज/२००९तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/पंचायत, उ०प्र० (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय)
2. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- ✓ 3. एन०आइ०सी० के वेबसाइट पर डालने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
11-6-2012
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।
E